N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0147 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 21/07/2024 16:53 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 19/07/2024 **Date To (दिनांक तक):** 20/07/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 4 **Time From (समय से):** 14:00 बजे **Time To (समय तक):** 11:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 21/07/2024 **Time (समय):** 14:15 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 21/07/2024 16:53:06 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 03 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARYALYA AGNI SHAMAN, NAGAR NIGAM BHARTPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): DHEERAJ SINGH

(b) Father's Name (पिता का नाम): BHURI SINGH

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1979 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	457, KRISHNA NAGAR, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	457, KRISHNA NAGAR, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): 91-

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ARUN KUMAR		पिता:DEVENDRA KUMAR	1. BHADURPUR,परीक्षितगढ़,मेरठ, उत्तर प्रदेश,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर विषय- रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है मैं धीरज सिंह पुत्र डॉ भूरी सिंह जाति जाट उम्र- 45 साल निवासी -457 कृष्णा नगर भरतपुर का रहने वाला हॅू। मैने मेरी पत्नि रूचि सिंह के नाम से ग्राम महुआ तह. भरतपुर में खसरा नं.-1909/17 रकवा 36 एयर में एक पैट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु आवेदन किया था। जिसके कन्वर्जन के लिए फायर एनओसी के लिए श्रीमान कलैक्टर साहब भरतपुर द्वारा फाइल फायर विभाग को भेजी गयी।दिनांक 2.7.2024 को मेरे पास अग्नि शमन अधिकारी अरूण का वाटसअप कॉल आया कि आपकी फाइल मेरे पास आयी हूई है,जहॉ अरूण जी ने वार्तालाप के दौरान 15000/- रूपये रिश्वत की मॉग की। मेरी अरूण अग्नि शमन अधिकारी से कोई रंजिश नहीं है। और न ही कोई लेन देन बकाया है। मै। ऐ०से भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हॅू। श्रीमान से निवेदन है कि कार्यवाही कराने की कृपा करें। प्रार्थी एसडी धीरज सिंह पुत्र डॉ भूरी सिंह जाति जाट निवासी -457 कृष्णा नगर भरतपुर मो0 9983134111, एसडी अमित सिंह अति0 पुलिस अधीक्षक एसीबी भरतपुर 19.07.24, एसडी डॉ शिवदत्त 20.07.24, एसडी श्री प्रवीण कुमार 20.07.24। कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 19.07.2024 को समय 02.00 पी.एम. पर परिवादी श्री धीरज सिंह पुत्र डॉ भूरी सिंह जाति जाट उम्र- 45 साल निवासी -457 कृष्णा नगर भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड की छायाप्रति के अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के पद नाम संबोधित करते हुए मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को इस आशय की पेश की कि मैं धीरज सिंह पुत्र डॉ भूरी सिंह जाति जाट उम्र- 45 साल निवासी -457 कृष्णा नगर भरतपुर का रहने वाला हॅू। मैने मेरी पत्नि रूचि सिंह के नाम से ग्राम महुआ तह. भरतपुर में खसरा नं.-1909/17 रकवा 36 एयर में एक पैट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु आवेदन किया था। जिसके कन्वर्जन के लिए फायर एनओसी के लिए श्रीमान कलैक्टर साहब भरतपुर द्वारा फाइल फायर विभाग को भेजी गयी। दिनांक 2.7.2024 को मेरे पास अग्नि शमन अधिकारी अरूण का वाटसअप कॉल आया कि आपकी फाइल मेरे पास आयी हूई है,जहॉ अरूण जी ने वार्तालाप के दौरान 15000/- रूपये रिश्वत की मॉग की। मेरी अरूण अग्नि शमन अधिकारी से कोई रंजिश नहीं है। और न ही कोई लेन देन बकाया है। मै ऐ०से भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हॅू। श्रीमान से निवेदन है कि कार्यवाही कराने की कृपा करें उपरोक्त रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो बताया कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट मेरी हस्तलिखित है मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर समय 02.15 पीएम पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय माईक्रो एसडी कार्ड को कार्यालय के मालखाने से श्री संतोष कुमार हैड कानि0 58 से निकलवाकर परिवादी श्री धीरज सिंह को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री रीतराम सहायक उप निरीक्षक को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी धीरज सिंह को आरोपी के पास जाने से पूर्व रिकार्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर बन्द कर ज्यों का त्यौं सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी एवं श्री रीतराम स.उ.नि. को परिवादी की निजी कार से कार्यालय अग्नि शमन भरतपुर रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 04.00 पीएम पर श्री रीतराम स0उ0नि0 मय परिवादी श्री धीरज सिंह के उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा उपस्थित कार्यालय आया। श्री रीतराम स0उ0नि0 से वॉईस रिकॉर्डर को जरिये फर्द प्राप्त किया गया तथा परिवादी ने मन् अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं और श्री रीतराम जी आपके कार्यालय से रवाना होकर मेरी निजी कार कार्यालय अग्नि शमन भरतपुर पहॅुचा जहां थोडी देर बाद अरूण अग्नि शमन अधिकारी उपस्थित आया जिसने मेरे से साईट पर चलने की कहा तो हम तीनों कार्यालय अग्नि शमन भरतपुर से रवाना होकर ग्राम महुआ-सिनपिनी पहुंचे जहां अरूण अग्नि शमन अधिकारी ने साईट पर मौके का निरीक्षण किया तथा अग्नि शमन अधिकारी द्वारा मुझसे शपथ पत्र एवं साईट प्लान देने को कहा एवं एनओसी देने की एवज में मुझसे 15000 रूपये रिश्वत की मांग की मेरे निवेदन करने पर 10000 रूपये लेने पर सहमत हो गया इसके बाद रवाना होकर हम कार्यालय अग्नि शमन भरतपुर पहुंचे जहां अग्नि शमन अधिकारी को उसके कार्यालय छोडा इसके बाद मैने वॉईस रिकॉर्डर को रीतराम जी को सुपुर्द कर दिया जिन्होने बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख

लिया बाद रवाना होकर हम एसीबी चौकी भरतपुर पहुंचे परिवादी के उक्त कथनों की पुष्टि श्री रीतराम सहायक उप निरीक्षक द्वारा की गई। श्री रीतराम सहायक उप निरीक्षक से जरिये फर्द प्राप्तशुदा वॉईस रिकॉर्डर कर चालु कर सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। परिवादी श्री धीरज सिंह ने बताया कि मुझे किसी आवश्यक कार्य से बाहर ज़ाना है इस पर वॉईस रिकॉर्डर मय एस डी कार्ड को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रूपान्तरण पृथक से तैयार किया जावेगा। परिवादी को कल दिनांक 20.07.2024 को समय 08.00 एएम पर उपस्थित होने हेतु बाद हिदायत रूखसत किया गया। तत्पश्चात समय 05.10 पीएम पर कार्यवाही हाजा में स्वतंत्र गहावान की आवश्यकता होने पर श्री दिलीप सिंह कानि0 610 को स्वतन्त्र गवाह को पाबन्द करने हेतु उप निदेशक पशुपालन विभाग भरतपुर के पदनाम तहरीरी जारी कर कार्यालय उप निदेशक पशुपालन विभाग भरतपुर रवाना किया जाने पर समय 05.50 पीएम पर श्री दिलीप सिंह कानि0 उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा वापस आया और बताया कि कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग भरतपुर पहुंचा जहां स्वतंत्र गवाहान को पाबन्द करवा कर दिनांक 20.07.2024 को समय 09.00 एएम पर में उपस्थित होने की हिदायत कर वापस आया। इसके बाद दिनांक 20.07.2024 को समय 09.50 एएम पर परिवादी धीरज सिंह उपस्थित कार्यालय आया जिसने बताया कि मै आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 10000 रूपये का इन्तजाम करके लेकर आया हूं । जिसे कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 09.55 एएम पर पूर्व से पाबन्दशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय आये जिनको मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम क्रमशः डॉ शिवदत्त पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद उम्र 45 साल जाति जाटव निवासी प्लाट नं0 114 दीनदयाल नगर पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर हाल वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय भरतपुर तथा श्री प्रवीण कुमार सैनी पुत्र श्री महेन्द्र सिंह सैनी उम्र 32 साल जाति माली निवासी नया कुआ भुसावर पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर हाल सहायक सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग भरतपुर होना बताया जिनका कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी धीरज से आपस में परिचय कराया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा कराई जा रही ट्रेप कार्यवाही से अवगत कराया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 19.07.2024 को पेश की गई शिकायत को पढने को दिया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की एवं प्रमाण स्वरूप दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय 10.15 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री धीरज सिंह पुत्र डॉ भूरी सिंह जाति जाट उम्र-45 साल निवासी -457 कृष्णा नगर भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से 20 नोट पांच-पांच सौ रूपये के कुल 10,000/- रूपये निकालकर पेश किये पांच सौ रूपये के 20 नोटो के नम्बर क्रमशः 3 FT 591235, 0 GT 759507, 6 AL 210962, 5 AE 343719, 0 CT 087992, 3 TU 303047, 3 BB 070941, 1 KE 739620, 8 UV 614351, 7 DU 852415, 0 AA 866546, 0 PG 744440, 5 KG 878232, 2 WG 601689, 6 BC 447430, 7 PQ 365636, 2 RE 116053, 8 SQ 661326, 5 AF 002778, 6 NL 721610 उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री रवि हैड कानि0 52 से मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री उमाशंकर कानि0 82 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री धीरज सिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह डॉ शिवदत्त से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पष्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 10000/-रूपये के नोटों को श्री उमाशंकर कानि0 82 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट बांयी तरफ की पीछे की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने पहने हुए चश्मे उतारकर अपनी शर्ट से साफ करने का रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री प्रवीण सैनी से कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री उमाशंकर कानि. 82 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्री रवि कुमार हैड कानि0 के माध्यम से मालखाना में रखवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस

अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया एसडी कार्ड डालकर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। श्री उमाशंकर कानि0 को बाद हिदायत कार्यालय में ही छोडा गया। फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 11.00 एएम पर श्री मुनेश कुमार उप निरीक्षक मय श्री यशपाल कानि0 473 , श्री हरभान सिंह 591 मय सरकारी गाडी बोलेरो मय चालक विजय सिंह 339 के रवाना कर उनके पीछे-पीछे श्री रवि कुमार हैड कानि0 52, श्री दिलीप सिंह कानि0 610, श्री विनोद सिंह कानि0 114 मय स्वतंत्र गवाह डॉ. शिवदत्त के निजी कार से रवाना कर उनके पीछे पीछे मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाह श्री प्रवीण कुमार सैनी मय रीतराम सिंह सहायक उपनिरीक्षक मय गम्भीर सिंह कानि0 475 मय परिवादी की निजी कार मय सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर एवं ट्रेप बॉक्स के अग्नि शमन कार्यालय भरतपुर वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होकर समय 11.10 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी के कार्यालय अग्नि शमन भरतपुर के पास पहुंचा जहां वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को आरोपी से मिलने कार्यालय अग्नि शमन भरतपुर के लिये रवाना किया जाकर परिवादी के हमराह श्री रीतराम सहायक उप निरीक्षक, व इनके पीछे पीछे श्री दिलीप सिंह कानि0 को रवाना किया गया तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के कार्यालय अग्नि शमन भरतपुर के मुख्य गेट के आस पास अपनी पहचान छुपाते हुए खडा हो गया इसके बाद समय 11.30 एएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को परिवादी श्री धीरज सिंह के नियत ईशारे की सूचना प्राप्त पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान एवं जाप्ता के अग्नि शमन कार्यालय परिसर के मुख्य दरवाजे के अन्दर प्रवेश कर कार्यालय के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा जहां पर परिवादी श्री धीरज सिंह उपस्थित मिले जिनसे पूर्व में सुपुर्द शुदा वॉईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने मन अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि अरूण कुमार अग्नि शमन अधिकारी ने अभी अभी मेरे से रिश्वत के 10000 रूपये लेकर अपनी कार्य करने की टेबल की रैक में रख लिये हैं अभी अरूण कुमार अग्नि शमन अधिकारी अपने कक्ष में ही बैठे हुए हैं इसपर मन अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान, जाप्ता व परिवादी के अग्नि शमन कार्यालय के अन्दर प्रवेश कर अग्नि शमन अधिकारी के कक्ष के बाहर पहुंचा कक्ष पर दरवाजे के पास अरूण कुमार अग्नि शमन अधिकारी लिखा हुआ है कक्ष के अन्दर प्रवेश किया तो सामने अधिकारी की कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ जिसकी तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही अरूण कुमार अग्नि शमन अधिकारी है जिन्होने मेरे से अभी अभी मेरी पत्नि श्रीमति रूचि सिंह के नाम ग्राम महुआ तहसील भरतपुर में स्थित खसरा नं0 1909/17 रकवा 36 ऐयर में पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु फायर एनओसी देने की एवज में कल दिनांक 19.07.2024 को 15000 रूपये रिश्वत की मांग की थी जिसका आप द्वारा सत्यापन करवाया गया था मेरे निवेदन करने पर अरूण कुमार 10000 रूपये लेने पर सहमत हुए थे। उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 20.07.2024 को मेरे से मेरे काम के संबंध में बात कर 10000 रूपये रिश्वत के बांये हांथ में लेकर दाहिने हाथ से अपने कार्य करने की टेबल की रैक में रख लिए हैं। इस पर कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति से अपना व हमराहीयान का परिचय देकर नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम अरूण कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार जाति जाट उम्र 38 साल निवासी ग्राम बहादुर पुर पुलिस थाना परिक्षितगढ जिला मेरठ उत्तर प्रदेश हाल निवासी सरकारी आवास अग्नि शमन कार्यालय भरतपुर हाल अग्निशमन अधिकारी कार्यालय अग्नि शमन, नगर निगम भरतपुर होना बताया, जिनसे परिवादी धीरज सिंह से 10000 रूपये रिश्वत राशि लेने के संबंध में पूछा तो आरोपी अरूण कुमार अग्नि शमन अधिकारी ने बताया कि पेट्रोल पम्प आदि की जिला कलक्टर कार्यालय से एनओसी जारी की जाती है हमारे कार्यालय से अनापत्ति के संबंध में रिपोर्ट भेजी जाती है। कल दिनांक 19.07.2024 श्री धीरज सिंह मेरे कार्यालय में आये थे जिनके साथ में ग्राम महुआ तहसील भरतपुर में उनकी पत्नि श्रीमति रूचि सिंह के नाम से पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु लगाई गई एनओसी देने की रिपोर्ट के लिये मौका देखने के लिये गया था इसके बाद मैने उनको एक शपथ पत्र एवं साईट प्लान देने की कहा था मैने धीरज सिंह से कोई रिश्वत की मांग की थी इसके बाद आज धीरज सिंह मेरे कार्यालय में आये थे उन्होने मुझे शपथ पत्र व साईट प्लान पेश किया। मैने आज इन से कोई रिश्वत राशि नहीं ली है। इस पर पास में खडे परिवादी श्री धीरज सिंह ने आरोपी की बताई बातों का खण्डन करते हुए बताया कि श्री अरूण कुमार अग्नि शमन अधिकारी झूठ बोल रहे हैं इन्होने दिनांक 02.07.2024 को मेरे मोबाईल कॉल कर बताया कि आपकी पत्नि के नाम पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु फाईल फायर एनओसी के लिये आई है आप आकर मिल ले ना इस पर मै कल दिनांक 19.07.2024 को कार्यालय अग्नि शमन भरतपुर में श्री अरूण कुमार अग्नि शमन अधिकारी से आकर मिला तो इन्होने मेरे से मेरी पत्नि श्रीमति रूचि सिंह के नाम ग्राम महुआ तहसील भरतपुर में स्थित खसरा नं0 1909/17 रकवा 36 ऐयर में पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु फायर एनओसी देने की एवज में 15000 रूपये रिश्वत की मांग की थी जिसका आप द्वारा सत्यापन करवाया गया था मेरे निवेदन करने पर अरूण कुमार 10000 रूपये लेने पर सहमत हुए थे। उक्त मांग के अनुसरण में आज

दिनांक 20.07.2024 को मेरे से मेरे काम के संबंध में बात कर 10000 रूपये रिश्वत के बांये हाथ में लेकर दाहिने हाथ से अपने कार्य करने की टेबल की रैक में रख लिए तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकलवाकर अग्नि शमन कार्यालय भरतपुर में रखे हुए पानी के केम्पर से जग से पानी मगवा कर गिलासों को साफ करवाकर एवं साफ पानी मंगवाकर गिलास साफ करवाकर साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर गवाह डॉ. शिवदत्त से डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर गिलास के घोल में आरोपी अरूण कुमार के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क एल एच-1 व एल एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तथा डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया एवं पुनः ट्रेप बॉक्स से डिस्पोजल गिलास निकाल कर अच्छी तरह साफ करवा कर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में आरोपी अरूण कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर एच-1 व आर एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट कराया गया। तत्पश्चात गवाह श्री प्रवीण कुमार सैनी से आरोपी की कार्य करने की टेबल की उपरी रैक को खुलवाया गया तो रैक के अन्दर कागज व स्टाम्प के उपर पांच-पांच सौ रूपये के नोटों की मुडी हुई अवस्था में गड्डी दिखाई दी उक्त नोटों को गवाह श्री प्रवीण कुमार सैनी से उठवाया जाकर गिनवाया गया तो पांच पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के होना पाये गये जिनका मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू होना पाये गये। उक्त रिश्वत राशि बरामदगी कार्यवाही की विडियो ग्राफी मन अति0 पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री यशपाल कानि0 द्वारा अपने मोबाईल से की गई। नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स में से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसे साफ कराकर उसमें साफ पानी डाल कर सोडियम कार्बोनेट का घोल डॉ. शिवदत्त से तैयार करा कर ट्रेप बॉक्स से रूई का फोआ निकलवा कर गवाह डॉ. शिवदत्त से रूई के फोऐ को घोल में डुवाकर फोऐ से रैक में रखे हुए कागज व स्टाम्प को पुछवाया जाकर घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आरएफ-1 व आरएफ-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात रूई फोआ व कागज व स्टाम्प को सुखवा कर उक्त रूई फोआ व कागज व स्टाम्प को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "आरएफ' अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण कम्प्यूटर की सहायता से टेबल स्पीकर से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। आरोपी अरूण कुमार अग्नि शमन अधिकारी से परिवादी के कार्य से संबंधित पत्रावली के संबंध में पूछा तो उन्होने अपनी कार्य करने की टेबल से श्रीमति रूचि सिंह के नाम की पत्रावली पेश की जिसको जरिये फर्द पृथक से जप्त किया जावेगा। आरोपी अरूण कुमार अग्नि शमन अधिकारी का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) अपराध श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपी को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। फर्द बरामदगी पृथक से मूर्तिव की जाकर बाद संबंधित के हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी के सरकारी आवास की खाना तलाशी हेतु उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। तत्पश्चात समय 01.55 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री धीरज सिंह की पत्नि श्रीमति रूचि सिंह के नाम ग्राम महुआ तहसील भरतपुर में स्थित खसरा नं0 1909/17 रकवा 36 ऐयर में पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु फायर एनओसी से संबंधित पत्रावली आरोपी अरूण कुमार अग्नि शमन अधिकारी ने अपनी कार्य करने की टेबल से उठाकर पेश की पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पत्रावली के कवर पेज पर फाईल नम्बर -458 अंकित है एवं नाम के आगे श्रीमति रूचि सिंह पत्नि श्री धीरज सिंह ग्राम महुआ (सी-138 इन्द्रा नगर हीरादास भरतपुर)रिटेल ऑउट लेट (नवीन पैट्रोल पम्प) 2020 लिखा है। पत्रावली पेज सं.-01 लगायत 23 हैं। प्रथम पृष्ठ पर नोटशीट का विवरण अंकित है जिस पर नीचे आरोपी अरूण कुमार के हस्ताक्षर हो रखे है। पत्रावली के अन्तिम पृष्ठ पर ले ऑउट प्लान लगा हुआ है। पत्रावली में खुली अवस्था में दो अन्य दस्तावेज रखे है जिनका अवलोकन किया तो एक कार्यालय नगर निगम भरतपुर का पत्र है जो अति. जिला मजिस्ट्रेट शहर भरतपुर के नाम अग्रेषित है जिसमें श्रीमति रूचि सिंह एवं राकेश कुमारी के नवीन पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति जारी करने की अनुषंसा से संबंधित विवरण अंकित है। जिस पर नीचे अरूण कुमार अग्नि शमन अधिकारी नगर निगम भरतपुर के हस्ताक्षर हो रखे है एवं रबर मोहर अंकित है। पत्र पर डिस्पेच नं. व दिनॉक अंकित नहीं है एवं दूसरा दस्तावेज ले आउट प्लान खसरा नं.- 1909/17 का है जिसपर नक्शा प्रमाणित पर अरूण कुमार अग्नि शमन अधिकारी नगर निगम भरतपुर के

हस्ताक्षर हो रखे है। हस्ताक्षर के नीचे रबर मोहर अंकित है एवं ले आउट प्लान पर दूसरी तरफ अविनाश वंशीबाल की रबर मोहर अंकित हैं जिसके ऊपर हस्ताक्षर हो रखे है। चूकि उक्त खुली अवस्था में मिले दोनों दस्तावेजातों की कार्यवाही हाजा में बतौर वजह सबूत आवश्यकता होने पर उक्त दोनों मूल दस्तावेजात को कार्यवाही हाजा में बाद हस्ताक्षर जप्त किया गया एवं मौके पर तलबिदा श्री रिछपाल सिंह बुडरक आयुक्त नगर निगम भरतपुर उपस्थित है, अतः पत्रावली पेज सं.-01 लगायत 23 की छायाप्रति हेतु पत्रावली श्री रिछपाल सिंह आयुक्त को सुपुर्द कर बाद छायाप्रति पेज सं.-01 लगायत 23 प्रमाणितशुदा प्राप्त होने पर प्रमाणित छायाप्रति पत्रावली के प्रथम व अन्तिम पृष्ठ पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कार्यवाही हाजा में बतौर वजह सबूत जप्त किया गया। असल पत्रावली श्री रिछपाल सिंह आयुक्त नगर निगम भरतपुर के निर्देशानुसार श्री नीरज सिंह अग्नि शमन कर्मचारी को सुपुर्द की गई। फर्द जप्ती पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 02.30 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी अरूण कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार जाति जाट उम्र 38 साल निवासी ग्राम बहादुर पुर पुलिस थाना परिक्षितगढ जिला मेरठ उत्तर प्रदेश हाल निवासी सरकारी आवास अग्नि शमन कार्यालय भरतपुर हाल अग्निशमन अधिकारी कार्यालय अग्निशमन, नगर निगम भरतपुर द्वारा परिवादी श्री धीरज सिंह से उसकी पत्नि के नाम ग्राम महुआ तहसील भरतपुर में स्थित खसरा नं0 1909/17 रकवा 36 ऐयर में पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु फायर एनओसी देने की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 19.07.2024 को 15000 रूपये रिश्वत की मांग की व परिवादी के कहने पर 10000 रूपये लेने पर सहमत हुआ उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 20.07.2024 को परिवादी से अग्नि शमन कार्यालय भरतपुर में 10000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडे जाने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधान बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री प्रवीण कुमार सैनी से लिवाई गई तो आरोपी के पास एक वीवो कम्पनी का मोबाईल जिसमे जीओ व ऐयरटेल की सिम जिनके नं0 क्रमशः 9079994757 एवं 8739881957 डली हुई है एवं जामा तलाशी में 2330/-रूपये नगद मिले जिनके संबंध में पूछा तो आरोपी ने घर खर्च के होना बताये। आरोपी के पास मिली राशि के संबंध में संतोषप्रद जबाब देने पर उक्त राशि व मोबाईल को आरोपी के कहे अनुसार कार्यालय अग्नि शमन भरतपुर में पदस्थापित अग्नि शमन कर्मचारी नीरज को संभलाया गया। गिरफ्तारी की सूचना अग्नि शमन कर्मचारी नीरज को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 03.15 पीएम पर घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशादेही पर गवाहान की मौजूदगी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 04.30 पीएम पर श्री मुनेश कुमार उप निरीक्षक मय श्री रविकुमार हैड कानि0 मय गिरफ्तार शुदा आरोपी अरूण कुमार मय सरकारी गाडी बोलेरो मय चालक विजय सिंह के आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर आरोपी को पुलिस थाना मथुरा गेट में बन्द हवालात कराते हुए एसीबी चौकी भरतपुर पहुंचने की हिदायत देकर रवाना कर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप टीम मय जप्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट , डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात के मय परिवादी की निजी कार व प्राईवेट गाडी के एसीबी चौकी भरतपुर के लिये रवाना होने पर समय 04.50 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप टीम मय जप्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात के मय प्राईवेट गाडी के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा एसीबी चौकी भरतपुर पहुंचा तत्पश्चात समय 05.50 पीएम श्री मुनेश कुमार मय रवि कुमार हैड कानि0 मय सरकारी गाडी मय चालक के आरोपी को पुलिस थाना मथुरा गेट में बन्द हवालात करवा कर एसीबी चौकी उपस्थित आया जहाँ जप्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट, को मालखाना प्रभारी श्री रवि कुमार हैडकानि. 52 को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया। इसक बाद समय 06.00 पीएम पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.07.2024 के माईक्रो एसडी कार्ड को कार्यालय की अलमारी से निकालकर वाईस रिकार्डर में डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाईस का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैश व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 06.10 पीएम पर परिवादी धीरज व आरोपी अरूण कुमार अग्नि शमन अधिकारी कार्यालय अग्नि शमन, नगर निगम भरतपुर के मध्य हुई सत्यापन वार्ता दिनांक 19.07.2024 जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी श्री दिलीप कुमार कानि0 से रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद तैयार कराया गया। सीडी की और दो सीडी तैयार करवायी गई। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " ए " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर गये। वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली

में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " एम " अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री रवि कुमार हैड कानि0 52 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 10.30 पीएम वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 19.07.2024 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाईस का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैल व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 10.40 पीएम पर वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 20.07.2024 के माईक्रो एसडी कार्ड को वाईस रिकार्डर में डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है, से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाईस का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैल व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद परिवादी धीरज सिंह से दौराने ट्रेप कार्यवाही प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड जिसमें परिवादी व आरोपी अरूण कुमार अग्नि शमन अधिकारी के मध्य हुई वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता वार्तालाप रिकॉर्ड है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में श्री दिलीप कुमार कानि0 से रूपान्तरण व हिन्दी में अनुवाद तैयार कराया गया। सीडी की और दो सीडियॉ तैयार करवायी गई। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रतियों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " बी " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं मुल्जिम प्रति सीडियों को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर गये। वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "एम -1" अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री रवि कुमार हैड कानि0 52 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात दिनांक 21.07.2024 को सयम 12.30 एएम पर वक्त रिश्वत लेन देन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 20.07.2024 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाईस का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैश व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 12.40 एएम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 61 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री प्रवीण कुमार सैनी दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी अरूण कुमार अग्नि शमन अधिकारी नगर निगम भरतपुर द्वारा परिवादी श्री धीरज सिंह से उनकी पत्नि श्रीमति रूचि सिंह के नाम ग्राम महुआ तहसील भरतपुर में स्थित खसरा नं0 1909/17 रकवा 36 ऐयर में पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु फायर एनओसी की अनुसंषा करने की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 19.07.2024 को 15000 रूपये रिश्वत की मांग करना व परिवादी के कहने पर 10000 रूपये लेने पर सहमत होना उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 20.07.2024 को परिवादी से अग्नि शमन कार्यालय भरतपुर में 10000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडा जाने पर रिश्वत राशि 10000 रूपये आरोपी के कार्य करने की टेबल की रैक से बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। उक्त आरोपी के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर प्रेषित है। (अमित सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर। .....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमित सिह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अरूण कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार उम्र 38 साल निवासी ग्राम बहादुर पुर पुलिस थाना परिक्षितगढ जिला मेरठ उत्तर प्रदेश हाल निवासी सरकारी आवास अग्नि शमन कार्यालय भरतपुर हाल अग्निशमन अधिकारी कार्यालय अग्नि शमन, नगर निगम भरतपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 27 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 769-72 दिनांक 21.07.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर । 2. निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग जयपुर राजस्थान। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस द्वितीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर। । 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

ब्यूरो भरतपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): JAGDISH BHARDWAJ Rank (पद): निरीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

विशनाराम
पुलिस अधीक्षक--प्र -सन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राजस्थान, जयपुर

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1986				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)